रामराव लाला बोर्से और अन्य

बनाम

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि और अन्य

(सिविल अपील नं। 2018 का 418) 19 जनवरी, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, एएम खानविलकर और डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, जेजे।]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: धारा 166 , 29 वर्षीय कुंवारे व्यक्ति की घातक दुर्घटना - उसके माता-पिता (65 और 50 वर्ष) द्वारा सी मुआवजे के लिए दावा - ट्रिब्यूनल ने मृतक की उम्र के आधार पर 17 के गुणक को अपनाया और मुआवजा दिया - उच्च न्यायालय ने दावेदारों की उम्र के आधार पर 7 के गुणक को अपनाते हुए मुआवजे की राशि कम कर दी - दावेदारों द्वारा अपील - माना गया: वर्तमान मामले में लागू होने वाला सही गुणक 17 होगा, उम्र को ध्यान में रखते हुए मृतक मुआवजा राशि तदनुसार बढ़ाई गई। अपीलकर्ता-दावेदारों ने धारा के तहत याचिका दायर की। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 एक मोटर दुर्घटना में अपने बेटे की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा करती है। ट्रायल कोर्ट ने मृतक (29 वर्ष) की उम्र को ध्यान में रखते हुए 17 के गुणक का उपयोग करते हुए 61,20,000/- रुपये का मुआवजा दिया और पारंपरिक मदों के तहत 35,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी। 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया। उच्च न्यायालय ने दावेदारों की उम्र (65 और 50) के आधार पर 7 के गुणक को अपनाया और मुआवजे की राशि 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 26,45,000/- रुपये कर दी। इसलिए दावेदारों द्वारा वर्तमान अपील। एफ अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा: वर्तमान मामले में लागू होने वाला सही गुणक मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए 17 होगा। जहां तक भविष्य की संभावनाओं का सवाल है, 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी जरूरी होगी। उपरोक्त आधार पर और व्यक्तिगत खर्चों (मृतक कुंवारा होने के कारण) के लिए 50 जी प्रतिशत की कटौती करते हुए, कुल मुआवजा 61,20,000/- रुपये होगा। पारंपरिक मदों में अतिरिक्त राशि जोड़ने के बाद, कुल मुआवजा 61,90,000/- रुपये होगा। उपरोक्त राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। न्यायाधीकरण के निर्णय के अनुसार बटवारा किया जायेगा [पैरा 8] [193-जी; 194-ए-बी]

सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम [2009] 5 एससीआर 1098: (2009) 6 एससीसी 121-पर निर्भर।

केस लॉ रेफरेंस (2017) 13 स्केल 12 ने पैरा 8 [2009] 5 एससीआर 1098 के बाद पैरा 8 पर भरोसा किया

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरणः सिविल अपील नं 418 / 2018।

निर्णय और आदेश से दिनांक 23.10.2015 को बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक द्वारा प्रथम अपील सं 2015 का 724।

अपीलकर्ताओं के लिए आनंद मिश्रा, अमरेंद्र कुमार सिंह, सलाहकार। ।

उत्तरदाताओं के लिए राजेश कुमार गुप्ता, सलाहकार।।

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था

डॉ डी. वाई. चंद्रचूड़, जे द्वारा., 1. वर्तमान अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 23 अक्टूबर 2015 के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है। उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और पुरस्कार को कम कर दिया है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजा 61,55,000/- रुपये से 26,45,000/- रुपये तक।

2. ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा इस प्रकार उत्पन्न हुआ: 19 फरवरी 2006 को, दीपक मुंबई-आगरा रोड पर एक लक्जरी बस में एक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था और ड्राइवर की तरफ वाली सीट पर बैठा था। जब बस नासिक जिले के अटगांव में थी, तो पंजीकरण संख्या आरजे-01-जी-6386 वाला एक ट्रक विपरीत दिशा से आया और बस से टकरा गया, जिससे दीपक सहित सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दीपक को नासिक के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।

3. दुर्घटना के समय, मृतक शिशु विहार एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित स्कूल, दादा साहब दांडेकर विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। दावेदार, जो उसके माता-पिता थे, ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत दोषी ट्रक के मालिक और बीमाकर्ता के खिलाफ मुआवजे की मांग करते हुए दावा दायर किया। ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना ट्रक के चालक की लापरवाही और आसवधानी के कारण हुई। ट्रिब्यूनल ने दावेदारों द्वारा पेश किए गए सबूतों को स्वीकार कर लिया कि यदि मृतक जीवित रहता, तो उसे स्थायी कर दिया जाता और कम से कम 40,000 रुपये प्रति माह के छठे वेतन आयोग के वेतन का लाभ पाने का हकदार होता। 17 के गुणक को अपनाते हुए, ट्रिब्यूनल ने 61,20,000/- रुपये का मुआवजा दिया, जिसमें पारंपरिक मदों के तहत 35,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई। 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया।

4. उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों के विश्लेषण पर ट्रिब्यूनल द्वारा निकाले गए लापरवाही के निष्कर्ष की पुष्टि की। मुआवजे पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि 18 मार्च 2013 के वेतन प्रमाण पत्र (प्रदर्श 42) से संकेत मिलता है कि मृतक जून 2001 और फरवरी 2006 के बीच शिशु विहार एजुकेशन सोसाइटी के माध्यमिक खंड में अस्थायी आधार पर सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। आय प्रमाण पत्र में दर्शाया गया कि फरवरी 2006 में मृतक को 2,800 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता था। 20 मार्च 2006 को प्रधानाध्यापक द्वारा जारी एक अन्य प्रमाणपत्र (प्रदर्श 47) में भी यही स्थिति बताई गई है।

5. दावेदारों का मामला इस आधार पर टिका था कि मृतक के स्थायी होने की संभावना थी, ऐसी स्थिति में वह उच्च वेतन का हकदार होगा। पीडब्लू 3, जो ट्रस्ट के सचिव थे, ने बताया कि हालांकि छात्रों की ताकत बढ़ गई थी, काम का बोझ बढ़ गया था, मृतक जैसे व्यक्ति पद के लिए सरकार से मंजूरी के अभाव में अनुबंध के आधार पर सेवा में बने रहे। . उच्च न्यायालय ने पाया कि पीडब्लू 3 का साक्ष्य यह था कि यदि सरकार को मृतक की वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए पद स्वीकृत करना होता, तो ट्रस्ट उसे एक स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्त करता, जिस स्थिति में उसका वेतन, वेतनमान के अनुसार होता। 6" वेतन में से कमीशन, 40,000 रुपये प्रति माह होता। निष्कर्ष यह था कि प्रासंगिक समय पर मृतक की उम्र 29 वर्ष थी; कि उसने अपनी बी.एड. पूरी कर ली है। विश्वविद्यालय मुंबई से और 2001 से 2006 तक अंग्रेजी विषय के लिए अस्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत सहायक शिक्षक थे। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र निजी स्कूलों के कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977 में निहित प्रावधानों को खारिज कर दिया। पृष्ठभूमि, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि मृतक जीवित होता, तो उन्हें नियमित कर दिया गया होता और प्रति माह 40,000/- रुपये का वेतन मिलता। उच्च न्यायालय ने माना कि भविष्य की संभावनाओं के कारण 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रिब्यूनल ने 17 के गुणक को लागू करने में गलती की। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक के पिता 2006 में 65 वर्ष के थे और उसकी माँ 50 वर्ष की थी, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माता-पिता की औसत आयु 61 वर्ष मानते हुए 7 का गुणक अपनाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि मृतक कुंवारा था, इसलिए व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए। उपरोक्त आधार पर, उच्च न्यायालय ने मृतक की वार्षिक आय 4,80,000 रुपये की गणना की; भविष्य की संभावनाओं के आधार पर आय को 50% बढ़ाकर 7,20,000 रुपये कर दिया, व्यक्तिगत खर्चों के लिए 3,60,000 रुपये की कटौती की और 7 के गुणक के आधार पर कुल 25,20,000 रुपये का मुआवजा निकाला। प्यार और स्नेह की हानि के लिए दोनों दावेदारों में से प्रत्येक को देय

राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया और 25,000 रुपये के अंतिम संस्कार खर्च की अनुमति दी गई। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने ब्याज सहित कुल 26.45,000 रुपये का मुआवजा दिया है।

6. अपील के समर्थन में जिस मुख्य आधार का आग्रह किया गया है वह यह है कि उच्च न्यायालय ने 7 का गुणक लागू करने में गलती की है। चूंकि दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 29 वर्ष थी, इसलिए यह आग्रह किया गया था कि सही गुणक लागू किया जाए। आवेदन करने की तिथि 17 होगी।

7. बीमाकर्ता ने 2016 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 7717 में इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। विशेष अनुमति याचिका 25 अप्रैल 2016 को खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बीमाकर्ता की चुनौती है इसलिए असफल रहा। परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील के प्रयोजन के लिए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई आय के आधार पर आगे बढ़ना होगा। उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, बीमाकर्ता के आदेश पर, मृतक की आय के संबंध में तथ्य की खोज को वर्तमान अपील में चुनौती नहीं दी जाएगी।

8. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के संदर्भ में! और सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम के फैसले के अनुसार, वर्तमान मामले में लागू होने वाला सही गुणक मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए 17 होगा। जहां तक भविष्य की संभावनाओं का संबंध है, 50 प्रतिशत की गारंटी होगी। उपरोक्त आधार पर और व्यक्तिगत खर्चों (मृतक कुंवारा होने पर) के लिए 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए, कुल मुआवजा 61,20,000/- रुपये होगा। पारंपरिक मदों में अतिरिक्त राशि जोड़ने के बाद, कुल मुआवजा 61,90,000/- रुपये होगा। उपरोक्त राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से बंटवारा ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार किया जाएगा।

9. अपील तदनुसार अनुमत होगी। लागत के अनुसार कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी।

सर्वम द्विवेदी